

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक/स्था.अवि./37/2025/ 553

अटल नगर, रायपुर, दिनांक:-16/06/2025

विज्ञापन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ के जिला स्तरीय वार्ड आया के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पदपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है:-

क्रं.	पदनाम	जिले का नाम	महिलाओं के लिये कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से वर्गवार भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
			अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अपि	अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अपि			
1	वार्ड आया	राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी बिलासपुर	4	1	2	2	0	0	0	0	0	9	लेवल-01
		कोण्डगांव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		सरगुजा	2	1	6	1	0	0	1	0	0	10	
		बलरामपुर	3	1	9	2	0	0	1	0	1	15	
		सूरजपुर	2	0	2	1	0	0	0	0	0	5	
		कोरिया	0	0	4	1	0	0	0	0	0	5	
		जशपुर	1	0	3	1	0	0	0	0	0	5	

नोट :-

- उपरोक्त पदों में दिव्यांग के लिए आरक्षित पद हेतु केवल OL (one Leg) OA (one Arm) एवं LV (Low vision) दिव्यांग ही पात्र होंगे। (छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014)
- वार्ड आया के रिक्त पदों पर आवेदन किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

उक्त पदों की जिलेवार रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी, परीक्षा पद्धति, नियम व शर्तें, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी समस्त जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

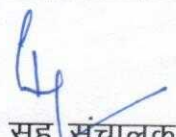
सामान्य नियम एवं शर्तें :-

- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 में जारी निर्देशानुसार राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की गई है। उक्त विज्ञापित पदों पर चयन/नियुक्तियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन होंगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें अराजपत्रित) चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 19 फरवरी 2024 में दिये गये प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होंगे।

4. पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिये।
5. सभी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व का जारी होना अनिवार्य है।
6. जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त पद हेतु नियोक्ता अधिकारी एवं राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी बिलासपुर के पदों के लिये अस्पताल अधीक्षक नियोक्ता अधिकारी है। जिनके अधीन विज्ञापित रिक्त पदों के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जावेगी उक्त परीक्षा के परिणाम एवं जिलेवार आरक्षण में रिक्त पदों के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन एवं भर्ती की अन्य प्रक्रिया विभागीय भर्ती नियम 19 फरवरी 2024 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा।
7. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है।
8. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा:-** दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3/दिनांक 18.01.2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. (अ) छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014. में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदों के लिये उपयुक्त OL, OA एवं LV दिव्यांग ही पात्र होंगे।
10. अनु.जाति. अनु.जन जाति एवं अ.पि.वर्ग हेतु पदों का निर्धारण जिले में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. आवेदन हेतु संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन परीक्षा हेतु आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है।
12. उपरोक्त विज्ञापित में दर्शाये गये पद संख्या से अधिक पदों पद भर्ती नहीं की जावेगी। विज्ञापन के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करके उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय लेने का सर्वाधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।
13. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम 11 में उपनियम (2) में खण्ड (तीन) के तहत सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 33 प्रतिशत अर्हकारी अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 23 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त से कम अंक प्राप्त होने पर चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
14. शासकीय सेवाओं से पूर्व में किसी अभ्यर्थी को बर्खास्त या दण्डित किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. भूतपूर्व सैनिक, को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. सीधी भर्ती के पदों में महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना पूर्णांकों के आधार पर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3, दिनांक 14.07.2017 निर्देश का पालन किया गया है।
17. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 11 सितम्बर 2023 के द्वारा "कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।"

18. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित/संविदा कर्मचारियों को चयन प्रक्रिया के समय नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं मूल प्रमाण चयन होने पर प्रस्तुत करना होगा।
19. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त प्राप्तांक सूची के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगे।
20. अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के समय कराया जावेगा। प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
21. प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूचीजारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैध रहेगी।
22. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 03 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी।
23. नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन होने पर नियुक्ति आदेश के निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी जिसके लिये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
24. चयनित उम्मीदवारों का पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सेवा में लिया जावेगा।
25. सक्षम नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा चयनित उम्मीदवारों के आवश्यक अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति लेकर ही उनकी उपस्थिति कार्य में ली जावेगी।
26. नियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
27. उक्त भर्ती संबंधित जानकारी/सूचना/निर्देश समय-समय पर वेबसाइट cghealth.nic.in/vyapamcg.cgstate.gov.in पर दी जावेगी। पृथक से अभ्यर्थियों को सूचना नहीं दी जावेगी। अतः अभ्यर्थी उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें।
28. **परीक्षा पद्धति :-** छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा वार्ड आया पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसका विस्तृत विवरण व्यापम के वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखी जा सकेगी।
29. जिलेवार रिक्त पदों का वर्गवार एवं आरक्षणवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	पदनाम	जिले का नाम	महिलाओं के लिये कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से वर्गवार भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
			अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	वार्ड आया	राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी बिलासपुर	4	1	2	2	0	0	0	0	0	9	लेवल-01
		कोण्डगांव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		सरगुजा	2	1	6	1	0	0	1	0	0	10	
		बलरामपुर	3	1	9	2	0	0	1	0	1	15	
		सूरजपुर	2	0	2	1	0	0	0	0	0	5	
		कोरिया	0	0	4	1	0	0	0	0	0	5	
		जशपुर	1	0	3	1	0	0	0	0	0	5	


 आयुक्त सह संचालक
 स्वास्थ्य सेवायें
 छत्तीसगढ़

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक/स्था.अवि. ५५/2025/ ४३

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०१/०१/2025

पूर्व में जारी संक्षिप्त विज्ञापन में संयोजन (Add On)

संचालनालय का पत्र क्रमांक/स्था.अवि./37/2025/210, दिनांक 28.03.2025 के द्वारा संभाग एवं जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (स्टाफ नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, वार्ड बॉय एवं वार्ड आया) के कुल 525 पदों एवं पत्र दिनांक 18.06.2025 के द्वारा फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 25 पदों को सीधी भर्ती करने हेतु संक्षिप्त विज्ञापन प्रारूप का प्रकाशन कर, उक्त पदों का विस्तृत विज्ञापन को व्यापम के वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पृथक से अपलोड की जावेगी, संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया। उक्त पदों के विस्तृत विज्ञापन में नियम एवं शर्तों के कंडिका में "नियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।" उल्लेखित है। उक्त कंडिका में सीधी भर्ती के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, दिनांक 07.12.2021 के द्वारा कोविड के दौरान अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों के संबंध में विचार करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-33/2021/1/5, दिनांक 17.09.2021 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लेता है कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाये एवं छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, दिनांक 03.02.2023 के द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी सेवा देने वाले अस्थायी कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए "6 माह तक लगातार सेवा देने" के स्थान पर "एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव प्रतिस्थापित करता है, प्रावधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार संचालनालय का पत्र क्रमांक/स्था.अवि./37/2025/210, दिनांक 28.03.2025 के द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञापन में संभाग एवं जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (स्टाफ नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, वार्ड बॉय एवं वार्ड आया) के कुल 525 पदों एवं पत्र दिनांक 18.06.2025 के द्वारा फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 25 पदों पर कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एक वर्ष में 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ विभाग द्वारा दिया जावेगा।

आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अनुमोदित

Handwritten Signature
01/01/25
संयुक्त संचालक (अविज्ञापन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

